हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 528 एवं 527 की भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के पूर्वज पूंजा की भूमि रही है, पूंजा की फोतगी के वाद प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अर्थात पूर्वजों के वारिसान के नाम दर्ज हुई, भू-प्रबन्ध कार्मिकों की गलती से खसरा नम्बर 528 का रकबा 5-05 बीघा भूमि कम आंकी गई तथा यह 5-05 भूमि विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 527 में शामिल कर दी गई है जबकि वक्त सैटलमेंट से व सैटलमेंट से पूर्व से ही खसरा संख्या 527 की रकबा 5-05 बीघा की भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, इस भू-प्रबन्ध कार्मिकों की त्रुटि को सुधारने हेतु प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 527 की रकबा 5-05 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा अर्थात खसरा संख्या 528 में शामिल किये जाने का वाद पत्र न्यायालय श्री में पेश किया है, मूल वाद के निस्तारण में लगना सम्भव है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त 5-05 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजी के सम्बन्ध में विरूद्ध विप्रार्थीगण जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2020 पुष्ट की जावे।

वकील विप्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम सोढों की ढाणी के खसरा नम्बर 527 वक्त भू-प्रबन्ध विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता हरजी पुत्र सोना के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 528 है व विप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 527 है। दोनों खसरों का राजस्व रेकर्ड अलग-अलग संधारित हुए तथा राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा अनुसार ही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने श्रीमान के न्यायलय एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर अपनी खातेदारे भूमि मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 527 की नेखमबन्दी के आदेश श्रीमान के न्यायलय से दिनांक 15.06.2022 को प्राप्त किये है, प्रार्थीगण उक्त स्थगन की आड़ में विप्रार्थीगण की नेखमबन्दी नहीं होने दे रहा है। साथ ही तर्क दिया कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 527 के खातेदार नहीं होने से स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं है। खसरा संख्या 527 विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिससे प्रार्थीगण का कोई लेना-देना ही नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 528 के साथ साथ विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 527 के सम्बन्ध में न्यायालय से गुमराह कर प्राप्त स्थगन आदेश खारिज फरवाया जावे अथवा स्थगन में छूट प्रदान कराते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 527 के सम्बन्ध में श्रीमान के न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2022 नेखमबन्दी आदेश की पालना सुनिश्चित कराने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जावे। विप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाव व बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :-

1. RRT 2013 (2) 828 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Rameshi V/s Kajod & ors.
2. RRT 2013 (2) 123 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Mohanpal &ors V/s Prabhu Singh
3. RRT 2021 (1) 610 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Munni Devi V/s Bahadur Singh
4. RRT 2020 (1) 794 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Jaipur Vikas Pradhikaran V/s Rambabu Sharma
5. RRT 2019 (1) 268 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Baburam V/s Ganesh & Anr.
6. RRT 2020 (1) 11 Rahasthan High Court Amar Singh V/s State of Rajasthan

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाव, राजस्व रेकर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण विवादित आराजी के खसरा संख्या 528 के रेकर्डेड खातेदार हैं तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 खेत खसरा संख्या 527 के रेकर्डेड खातेदार हैं। प्रार्थीगण का तर्क है कि खसरा संख्या 528 की रकबा 5-05 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंन्ट कम

सहायक ... गुड़ामालानी

आने के कारण खसरा संख्या 527 की भूमि में शामिल कर दी गई है
सेटलमेंट व इससे पूर्व इस भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ
है इसलिये इस 5–05 बीघा भूमि को खसरा संख्या 527 से हटाकर खसरा
528 में सम्मिलित कराने का वाद पेश किया गया है, वाद पत्र के निस्तारण तक
पुष्ट रखा जावे। जबकि प्रार्थीगण के तर्क का विप्रार्थीगण द्वारा खण्डन करते हुए तर्क
दिया है कि विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 527 की भूमि का प्रार्थीगण का कोई लेना–
देना नहीं है। स्थगन खारिज किया जावे अथवा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा
संख्या 527 के नेखमबन्दी आदेश दिनांक 15.06.2022 की पालना हेतु छूट प्रदान की
जावे। RRT 2013 (2) 828 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Rameshi V/s Kajod &
ors में अभिमत दिया है कि–"भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं– रेकॉर्डेड
खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती", इसी प्रकार RRT
2013 (2) 123 Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Mohanpal &ors V/s Prabhu
Singh में अभिमत दिया गया है कि–"अप्रार्थी भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है और उसके
विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाना न्यायोचित नहीं है", RRT 2021 (1) 610
Bord of Revenue for Rajasthan Ajmer Munni Devi V/s Bahadur Singh में "रेकॉर्डेड
खातेदार का कब्जा स्वत: कब्जा माना गया है। RRT 2020 (1) 794 Bord of Revenue
for Rajasthan Ajmer Jaipur Vikas Pradhikaran V/s Rambabu Sharma में यह अभिमत
दिया गया है कि केवल रेकॉर्डेड खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार है,
प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।
चूंकि उक्त प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या
527 की भूमि के प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नहीं होने से वर्तमान में खेत खसरा
संख्या 527 के सम्बन्ध में स्थगन पाने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त न्यायिक
दृष्टान्तों के अभिमतों के आधार पर खसरा संख्या 527 के सम्बन्ध में स्थगन बनाये
रखना न्यायालय उचित नहीं समझती है। प्रार्थीगण के हक अधिकार मूल वाद पत्र में
तय होंगे। अत: इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2020 में
आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 527 को
स्थगन मुक्त किया जाता है। खसरा संख्या 528 के सम्बन्ध में स्थगन मूल वाद के
निस्तारण तक पुष्ट (Confirm) किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर मूल वाद
के साथ रखी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी